न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 4040–तीन/2015 निगरानी – विरूद्ध – आदेश दिनांक 22–9–2015 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण क्रमांक 260/13–14 अपील

1– राजूवाई पुत्री भॅवरलाल
2– मांगीवाई पुत्री भॅवरलाल (मृतक वारिस)
अ– जीतमल पुत्र केशरसिंह/मांगीवाई
ब– केशरसिंह पुत्र पन्नालाल (मांगीवाई का पति)
3– केशरसिंह पुत्र पन्नालाल (मांगीवाई का पति)
सभी ग्राम रसूलपुरा तहसील व जिला राजगढ़ ——आवेदकगण

विरूद्ध

1– देवीसिंह पुत्र भागचंद भील
ग्राम संडावता तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़
2– रूपसिंह पुत्र सिद्धनाथ भल ग्राम खूजरिया घाटा
तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़
3– बालकृष्ण पुत्र वल्लभदास ब्राहमण
ग्राम संडावता तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी0डी0मेघानी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रमेश सक्सैना)

आ दे श

(आज दिनांक 15– 4–2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 260/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–9–15 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि देवी सिंह पुत्र भागचंद ने ग्राम सण्डावता स्थित

भूमि सर्वे कमांक 420 में से रकबा 0.083 हैक्टर भूमि जर्य पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4–11–99 से तत्कालीन भूमिस्वामी भॅवर लाल से क्रय की, किन्तु इसी भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रचलित होने से विक्रय पत्र पर से नामान्तरण नहीं हो सका। इसी दरम्यान मूल भूमिस्वामी विकेता भॅवरलाल की मृत्यु हो गई, तत्पश्चात् तहसीलदार ने नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 8 पर आदेश दिनांक 6–8–2006 से मृतक भॅवरलाल के वारिसान का भूमि सर्वे कमांक 420 के संपूर्ण रकबे पर नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर ने प्रकरण कमांक 27/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–2008 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के आदेश दिनांक 31–5–2008 के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिन्होंने प्रकरण कमांक 360/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनॉक 4–3–11 से अपील निरस्त कर दी।

तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के आदेश दिनांक 31–5–2008 के क्रम में पक्षकारों की सुनवाई की गई तथा तहसीलदार सारंगपुर (प्रभारी टप्पा सण्डावता) ने प्रकरण क्रमांक 3 अ 6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 13–6–2001 से विक्रय पत्र के आधार पर केता देवी सिंह का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर ने प्रकरण कमांक 2 /2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–7–12 से तहसीलदार आदेश दिनांक 13–6–2001 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 360/2007–08 अपील में पारित आदेश दि. 4–3–11 से अपील निरस्त कर दी।

तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के आदेश दिनांक 9–7–12 के क्रम में पक्षकारों की पुनः सुनवाई की गई तथा प्रकरण

क्रमांक 3 अ 6/10–11 में पारित आदेश दिनांक 16–10–12 से केता देवी सिंह का पुनः नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर ने प्रकरण क्रमांक 1/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30–10–2013 से पक्षकारों की पूर्ण सुनवाई न करने के आधार पर तहसीलदार का आदेश दिनांक 16–10–12 निरस्त कर दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, भोपाल व्दारा प्रकरण क्रमांक 260/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–9–15 से अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उनके व्दारा समर्थन में प्रस्तुत लेखी आवेदनों के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को , उनके व्दारा समर्थन में प्रस्तुत लेखी आवेदनों के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि मूल सामला विक्रय पत्र के आधार पर अर्जित किये गये स्वतांतरण के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम इन्द्राज करने का है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी निर्विवाद है कि तत्का. भूमिस्वामी भॅवरलाल से देवीसिंह ने जर्य पॅजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4–11–99 से वाद विचारित भूमि क्रय की है परन्तु व्यवहार न्यायालय में वाद के प्रचलन के कारण विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण न हो पाने से विकेता भॅवरलाल राजस्व अभिलेख में नामांकित रहा और उसकी मृत्यु उपरांत विक्रय की जानकारी से अनभिज्ञ तहसीलदार ने नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 8 पर आदेश दिनांक 6–8–2006 से मृतक भॅवरलाल के वारिसान का भूमि सर्वे क्रमांक 420 के संपूर्ण रकबे पर नामान्तरण कर दिया। इस आदेश

के विरूद्व अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर ने प्रकरण कमांक 27/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–5–2008 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। जब तहसीलदार के समक्ष विकय पत्र का तथ्य लाया गया, विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार ने केता का नामान्तरण कर दिया। इस नामांत्रण के वाद अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 9–7–12 से तहसीलदार आदेश दिनांक 13–6–2001 फिर से निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। जब एक वार प्रकरण प्रत्यावर्तित करके पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दे दिया गया, पुनः अपील में मामला उन्हीं पक्षकारों की सुनवाई हेतु वापिस नहीं किया जाना चाहिये , क्योंकि मूल मामला विकय पत्र के माध्यम से अंतरित किये स्वत्वों के आधार पर नामान्तरण का रहा है। विकय पत्र की बैधता की जांच राजस्व न्यायालय को करने की अधिकारिता नहीं है यह अधिकार क्षेत्र व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है यदि वाद विचारित भूमि के विकय पत्र को पक्षकार शून्य घोषित करना चाहते हैं तब उन्हें सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना होगी। इसके वाद भी बार–बार अपील होने पर प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने में अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर व्दारा की गई त्रृटि का सुधार अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्रकरण कमांक 260/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–9–15 से किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा पारित आदेश दिनांक 22–9–15 में किसी प्रकार का दोष नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 260/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–9–15 उचित होने से यथावत रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर